



## \*प्रेसनोट / सराहनीय कार्य\*

**\*(पत्रांक-258/2022 दिनांक 17.09.2022)\***

**\*दिनांक- 17.09.2022 को 17-September-2022जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-\***

**\*विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पीड़ित व्यक्तियों के 3,50,000/- रु0 नगद, पीड़ितों के 27 अदद पासपोर्ट, 02 अदद लग्जरी चार पहिया वाहन, मोबाईल फोन, मुहर, कम्प्यूटर,बीजा एवं आफर लेटर आदि के साथ 06 शातिर ठग गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री कुन्दन सिंह के नेतृत्व में साइबर अपराध की हो रही घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.09.2022 को थाना को0 पडरौना व साईबर की संयुक्त टीम द्वारा जनपद के भिन्न भिन्न स्थानों से 06 अन्तर्राज्यीय साईबर ठग क्रमशः 1.अमजद करीम पुत्र स्व0 मो0 रज्जा खान निवासी बघौचघाट टोला बजरहा थाना बघौचघाट देवरिया, 2.असरफ पुत्र स्व0 खलील निवासी हरपुर बेलही थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर, 3.राजेश कुमार शाह पुत्र स्व0 दीनानाथ शाह सा0 शीतल चौराहा पोस्ट राजापुर थाना कटिया जिला गोपालगंज बिहार, 4. सोनू आलम उर्फ शहबाज आलम पुत्र जैनुल सा0 धौरहरा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर, 5.आशिक अंसारी पुत्र मुंशी अंसारी सा0 सोहन थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर, 6.कलामुद्दीन अंसारी पुत्र अकबर अंसारी सा0 नगर पंचायत आफिस के पास फाजिलनगर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपराध से अर्जित पीड़ितों के 03 लाख 50 हजार रुपये नगद, 02 अदद चार पहिया वाहन (महिन्द्रा बोलरो व हुण्डई वेन्यू कार) , 9 अदद मोबाईल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनियों के, 41 अदद मोहर, 27 अदद पासपोर्ट ओरिजनल एवं 55 अदद फोटो कापी, 03 अदद कम्प्यूटर, 03 अदद प्रिन्टर, एक अदद स्कैनर, 14 अदद रसीद बुक, 8 अदद रजिस्टर, बीजा 34 अदद प्रिन्टेड, 62 अदद मेडिकल फिटनेस कागज, 52 अदद भिन्न भिन्न कम्पनियों का आफर लेटर, 100 अदद भिन्न भिन्न कम्पनियों का अनुभव प्रमाण पत्र, 13 अदद फोटो पेपर(सादर प्रिन्ट हेतु), 8 अदद एअर टिकट, 62 अदद रिजूम बायोडाटा, 26 अदद नौकरी हेतु आवेदन पत्र (भरा हुआ), 8 अदद एप्वाइन्टमेन्ट लेटर, 02 अदद सादा गल्फ टेक्निकल इंस्टिट्यूट का सर्टिफिकेट बरामद किया गया।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर 522/2022 धारा 419,420,467,468,471,120बी, 504,506 भादवि व 66सी ,66डी आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। \*श्रीमान् उपमहानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र, गोरखपुर द्वारा 25000/- रुपये व श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा 25000/- रुपये का पुरस्कार भी पुलिस टीम को दिया गया।\*

### **\*अपराध का तरीका-\***

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि सबसे पहले हम लोग एक ऑफिस खोलते हैं एवं अलग-अलग क्षेत्रों में अपने एजेन्ट बनाते हैं। उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सबको जोड़ लेते हैं। फिर विदेश में नौकरी हेतु अलग-अलग पदों के विज्ञापन ग्रुप में भेजते हैं। उस विज्ञापन के सापेक्ष एजेन्ट द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से लोगों को विदेश में नामी गिरामी कम्पनियों में नौकरी दिलाने का विश्वास दिलाकर फार्म भरवाते हैं तथा अपने ऑफिस पर इण्टरव्यू के लिए बुलाते हैं एवं एजेन्ट के माध्यम से प्रति व्यक्ति 60 हजार रूपया जमा करवाते हैं। सभी व्यक्तियों को वीजा दिलाने हेतु सिक्योरिटी के तौर पर उनका पासपोर्ट जमा करवा लेते हैं। पुनः कुछ दिन बाद उन व्यक्तियों को अलग-अलग कम्पनियों में अलग-अलग पदों का ऑफर लेटर पर मुहर व हस्ताक्षर स्वयं के द्वारा बनाकर एजेन्ट के माध्यम से दिला देते हैं। इस ऑफर लेटर में अच्छी सैलरी का जिक्र किया जाता है। जिससे वह व्यक्ति एयर टिकट, मेडिकल फिटनेट व अनुभव सर्टिफिकेट जल्दी बनाने हेतु एजेन्ट के माध्यम से और पैसा जमा कर देता है। जिस व्यक्ति का मेडिकल फिटनेस व अनुभव सर्टिफिकेट का पैसा जमा हो जाता है उसको अपने ऑफिस से अलग-अलग कम्पनियों का अनुभव सर्टिफिकेट पर मुहर व हस्ताक्षर स्वयं बनाकर उपलब्ध करा देते हैं। जब उस व्यक्ति द्वारा विदेश भेजने हेतु दबाव बनाया जाता है तो ओमान में रह रहे अपने भाई इम्तियाज खान के माध्यम से ओमान का विजीट/टूरिस्टर वीजा (अवधि 30 दिवस) मगवा कर उस व्यक्ति को विदेश भेज देते हैं। विदेश में पहुचने पर अपने भाई इम्तियाज के माध्यम से उस व्यक्ति को अनुभव सर्टिफिकेट के विपरीत मजदूरी में कुछ दिन काम दिला देते हैं। जब वीजा की अवधि पूरी हो जाती है तो उस व्यक्ति को यह बता दिया जाता है कि अब काम नहीं है। कुछ व्यक्ति मन के अनुरूप काम न मिलने, कुछ व्यक्ति को यह पता चलने कि वह टूरिस्ट वीजा पर आये है जिसकी अवधि केवल 30 दिन है तथा कुछ काम न मिलने या काम समाप्त हो जाने के कारण खुद ही अपने घर वापस आने हेतु तैयार हो जाते हैं तथा वापस आने का खर्च स्वयं वहन करते हैं और इस तरह हम लोगों द्वारा पूर्व लिया गया पैसा वापस करने से बच जाते हैं।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***



Edit with WPS Office

- 1.अमजद करीम पुत्र स्व0 मो0 रज्जा खान निवासी बघौचघाट टोला बजरहा थाना बघौचघाट देवरिया,
2. असरफ पुत्र स्व0 खलील निवासी हरपुर बेलही थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर,
- 3.राजेश कुमार शाह पुत्र स्व0 दीनानाथ शाह सा0 शीतल चौराहा पोस्ट राजापुर थाना कटिया जिला गोपालगंज बिहार,
4. सोनू आलम उर्फ शहबाज आलम पुत्र जैनूल सा0 धौरहरा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर,
- 5.आशिक अंसारी पुत्र मुंशी अंसारी सा0 सोहन थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर,
- 6.कलामुद्दीन अंसारी पुत्र अकबर अंसारी सा0 नगर पंचायत आफिस के पास फाजिलनगर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

### **\*बरामदगी का विवरण-\***

- 1.पीडितों के 03 लाख 50 हजार रुपये नगद,
- 2.02 अदद चार पहिया वाहन (महिन्द्रा बोलरो व हुण्डई वेन्यू कार),
- 3.9 अदद मोबाईल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनियों के,
- 4.41 अदद मोहर,
- 5.27 अदद पासपोर्ट ओरिजनल,
- 6.55 अदद फोटो कापी,
- 6.03 अदद कम्प्यूटर,
- 7.03 अदद प्रिन्टर,
- 8.एक अदद स्कैनर,
- 9.14 अदद रसीद बुक,
- 10.8 अदद रजिस्टर,
- 11.बीजा 34 अदद प्रिन्टेड,
- 12.62 अदद मेडिकल फिटनेस कागज,
- 13.52 अदद भिन्न भिन्न कम्पनियों का आफर लेटर,
- 14.100 अदद भिन्न भिन्न कम्पनियों का अनुभव प्रमाण पत्र,
- 15.13 अदद फोटो पेपर(सादर प्रिन्ट हेतु),
- 16.8 अदद एअर टिकट,
- 17.62 अदद रिजूम बायोडाटा,
- 18.26 अदद नौकरी हेतु आवेदन पत्र (भरा हुआ),
- 19.8 अदद एप्वाइन्टमेन्ट लेटर,
- 20.02 अदद सादा गल्फ टेक्निकल इंस्टिट्यूट का सर्टिफिकेट बरामद।

### **\*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-\***

- 1.प्र0नि0 श्री राजप्रकाश सिंह थाना को0 पडरौना मय टीम जनपद कुशीनगर

2. निरीक्षक श्री मनोज कुमार पंत प्रभारी साइबर सेल जनपद कुशीनगर
3. प्रभारी निरी० श्री आशुतोष कुमार सिंह थाना तुर्कपट्टी मय टीम जनपद कुशीनगर
4. उ०नि० शरद भारती सर्विलांश सेल जनपद कुशीनगर
4. का० चन्द्रभान वर्मा साइबर सेल कुशीनगर
5. का० विजय चौधरी साइबर सेल कुशीनगर
6. का० अनिल यादव साइबर सेल जनपद कुशीनगर
7. म०का० नेहा यादव साइबर सेल जनपद कुशीनगर
8. का० प्रशान्त कुमार मिश्रा साइबर सेल कुशीनगर

**\*“ऑपरेशन शिंकजा” के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में प्रभावी पैरवी कर दिलाई गयी सश्रम (10 वर्ष) सजा-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में “आपरेशन शिंकजा” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना को० हाटा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 372/2009 धारा-363/366/376 भादवि० में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा० न्यायालय द्वारा आज दिनांक 17.09.2022 को अभियुक्त दीलीप पुत्र शारदा साकिन गौनर थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व ₹25,000/- अर्थदंड से दण्डित किया गया। अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ०नि० विभूतिप्रसाद कनौजिया, एडीजीसी के० के० पाण्डेय, पैरोकार हे० को० छोटेलाल का सराहनीय योगदान रहा है।

**\*अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही- (कुल-02)\***

**\*थाना को० पडरौना-\***

थाना को०पडरौना पुलिस टीम द्वारा दो नफर अभियुक्त 1.अभिषेक पुत्र अमिताभ सिंह सा० सिरसिया थाना पिपरा जिला प० चम्पारन बिहार, 2.बिट्टू कुमार पुत्र हरिन्द्र शाह सा० सिरसिया थाना पिपरा जिला पूर्वी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 10-10 ली० कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु०अ०सं०-524/2022, 525/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**\*वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)\***

**\*थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा एक वारण्टीअभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.09.2022 को थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा मु०नं० 1779/2020 धारा 323/504 भादवि० से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त गोविन्द पुत्र विरझन साकिन

रामपुरपट्टी थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त -\***

गोविन्द पुत्र विरझन साकिन रामपुरपट्टी थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम-\***

- 1.उ0नि0 श्री ओम प्रकाश गुप्ता थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
- 2.का0 गिरजेश यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
- 3.का0 अंगद यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

**\*थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.09.2022 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 312/2019 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 से सम्बंधित वांछित अभियुक्त सहादत अली पुत्र मुस्तफा अली सा0 धनेवा धनेयी थाना को0 महाराजगंज जनपद महाराजगंज को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

सहादत अली पुत्र मुस्तफा अली सा0 धनेवा धनेयी थाना को0 महाराजगंज जनपद महाराजगंज

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम-\***

- 1.प्र0नि0 श्री दिनेश कुमार तिवारी थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर।
- 2.उ0नि0 इन्द्रभान थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर।
- 3.हे0का0 अरविन्द गिरी थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर।
- 4.हे0का0 मानवेन्द्र सिंह थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर।
5. का0 इन्द्रेश कुमार थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर।
6. का0 राजेश यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर।

**\*जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\***

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 21 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक



कार्यवाही की गयी।

**\*कार्यवाही एक नजर में =\***

1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-30 वाहन।

2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-35, व्यक्ति-101

3.वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल-02)

4.आबकारी अधि0 में की गयी कार्यवाही मु0-02, अभि0-02, बरामदगी-20 ली0  
कच्ची शराब

\*5.जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-31)\*

**\*सोशल मीडिया सेल\***

**\*जनपद कुशीनगर\***

